

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गोण्डा

पत्रांक-एस0एस0ए0/के0जी0बी0वी0/नियुक्ति/

/2026-27

दिनांक- 9-6-2026

विज्ञापित

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कक्षा 06 से 08 के रिक्त पदों हेतु उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0-वे0श्रि0 अनुभाग-5/1553/68-5-2020 लखनऊ दिनांक 11 दिसम्बर 2020 के अनुपालन में महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा के कार्यालय पत्रांक के0जी0बी0वी0/शिक्षक/8362/2020-21 दिनांक 04 जनवरी 2021 व प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा अनुभाग-5 उ0प्र0 शासन लखनऊ के शासनादेश संख्या 2805/68-5-2023-05/2020 दिनांक-01 फरवरी, 2023 के अनुपालन में राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा के कार्यालय पत्रांक के0जी0बी0वी0/11308/2022-23 दिनांक 14 फरवरी 2023 तथा जनपद में संचालित कक्षा 09 से 12 उच्चकृत कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों के रिक्त पदों पर कर्मियों के चयन/पदस्थापन के सम्बन्ध में बेसिक शिक्षा अनुभाग-05 के शासनादेश सं-1/570148/2024 File no. -68-5099/23/2024-5(1) दिनांक 28/05/2024 व संशोधित शासनादेश संख्या-68-5099/2024-5-अनुभाग-5 बेसिक शिक्षा-(बेसिक शिक्षा विभाग) 1/775757/2024, दिनांक 21-10-2024 एवं तत्क्रम में राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक के.जी.बी.वी./1837/2024-25, दिनांक 30-05-2024 तथा राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक के.जी.बी.वी./7114/2024-25, दिनांक 28-10-2024 के क्रम में जनपद में संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में पी0जी0टी0, पूर्ण कालिक शिक्षिका, अंश कालिक शिक्षिका, उर्दू शिक्षिका, कार्यालय अधीक्षक, लैब असिस्टेंट, मुख्य रसोईया, सहायक रसोईयां, चपरासी एवं चौकीदार के पदों पर नियुक्ति (सविदा आधारित) हेतु वर्णित अर्हताधारी केवल महिला अभ्यर्थियों से शैक्षिक सत्र 2026-27 में कार्य करने हेतु निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 29-6-2026 को सायं 5.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी कार्यालय समग्र शिक्षा अभियान, पन्तनगर गोण्डा में निर्धारित शर्तों के अधीन आवेदन पत्र आमन्त्रित किए जाते हैं। पंजीकृत डाक के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। रिक्त पदों का विवरण, आवेदन पत्रों का प्रारूप एवं दिशा-निर्देश <http://gonda.nic.in> पर भी उपलब्ध है।

जनपद-गोण्डा में संचालित (कक्षा 06 से 08) 17 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में वर्ष 2026-27 में शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के विषयवार व विद्यालयवार रिक्त पदों का विवरण निम्नवत् है :-

पद का नाम	रिक्त पदों की आरक्षित श्रेणी				योग	शासनादेशानुसार विषय एवं न्यूनतम अर्हता	के0जी0बी0वी का नाम
	अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति			
पूर्ण कालिक शिक्षिका मानदेय- 25410/-	01	0	0	0	1	हिन्दी (हिन्दी एवं संस्कृत से स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टी0ई0टी0)	हलधरमऊ
	02	0	0	0	2	विज्ञान (जेड0बी0सी0 से प्रशिक्षित स्नातक एवं उ0प्र0 स्तर की टी0ई0टी0)	कटरा बाजार एवं झंझरी
	03	03	0	0	06	गणित (पी0सी0एम0 वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक एवं उ0प्र0 स्तर की टी0ई0टी0)	रूपईडीह, इटियाथोक, वनग्राम (महेशपुर), मुजेहना, पण्डरी कृपाल, नवाबगंज
	01	0	0	0	01	अंग्रेजी (अंग्रेजी से प्रशिक्षित स्नातक एवं उ0प्र0 स्तर की टी0ई0टी0)	कर्नलगंज
	0	01	0	0	01	सामाजिक विषय (भूगोल, नागरिक शास्त्र, इतिहास में से किसी एक विषय से प्रशिक्षित स्नातक एवं उ0प्र0 स्तर की टी0ई0टी0)	मनकापुर
	07	04	0	0	11	योग	

अश कालिक शिक्षिका मानदेय- 12790/-	02	0	0	0	02	कला कापट एवं रांगीत/गृह शिल्प (स्नातक उपाधि सहित प्रशिक्षण उपाधि)	वनग्राम (महेशपुर), बेलसर
	03	02	03	0	08	कम्प्यूटर (प्रशिक्षित स्नातक)	बेलसर, छपिया, इटियाथोक, वनग्राम (महेशपुर), मनकापुर, बभनजोत, कटरा बाजार, कर्नलगंज
	0	02	01	0	03	स्काउट गाइड एवं शारीरिक शिक्षा (बी०पी०एड०, सी०पी०एड० एवं डी०पी०एड० आदि उपाधि)	कर्नलगंज, परसपुर, कटरा बाजार
	05	04	04	0	13	योग	-
उर्दू शिक्षिका मानदेय- 17196/-	0	0	01	0	01	उर्दू (बी०ए० ऊर्दू विषय से तथा एल०टी० या० बी०टी० या बी०एड० या अन्य समकक्ष शिक्षा अथवा शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा)	इटियाथोक
योग	0	0	1	0	1	-	-
मुख्य रसोईया मानदेय- 9006/-	01	0	0	0	01	कक्षा-8	पण्डरी कृपाल
सहायक रसोईया मानदेय- 6755/-	02	03	03	0	08	कक्षा-8	पण्डरी कृपाल, हलधरमऊ एवं कटरा बाजार, मुजेहना, बभनजोत, वजीरगज
चपरासी मानदेय- 7505/-	0	0	01	0	01	कक्षा-8	इटियाथोक
योग	03	03	04	0	10	-	-
कुल योग	15	11	09	0	35	-	-

जनपद-गोण्डा में संचालित (कक्षा 09 से 12 तक) करतूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में वर्ष 2026-27 में शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कार्मचारियों के विषयवार व विद्यालयवार रिक्त पदों का विवरण निम्नवत् है :-

पद का नाम	रिक्त पदों की आरक्षित श्रेणी				योग	विषय एवं न्यूनतम अर्हता	के०जी०बी०वी० का नाम	मानदेय (पी०ए०बी से अप्रूव)	वरीयमान अर्हता
	अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति					
पी.जी.टी. जीव विज्ञान	0	01	01	0	02	1 वनस्पति विज्ञान अथवा जन्तु विज्ञान में एम०ए०सी० अथवा 2 कृषि विषयक वनस्पति विज्ञान के साथ एम०ए०सी० वी०ए०सी० में जन्तु विज्ञान अथवा 3 कृषि विषयक जन्तु विज्ञान के साथ एम०ए०सी० वी०ए०सी०(लाइफ साइंस) अथवा 4 यू०जी०सी० द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डिग्री कालेज में एम०ए०सी० (लाइफ साइंस) अथवा 5 किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कालेज में शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित जीव विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ वी०ए०सी०	बभनजोत एवं वजीरगज	पी०ए०बी से अप्रूव मानदेय के आधार पर- 22000/-	प्रशिक्षित

पी.जी.टी. कम्प्यूटर विज्ञान	01	0	0	0	01	<ol style="list-style-type: none"> एमटेक (कम्प्यूटर विज्ञान) अथवा बी0ई0/बी0टेक (कम्प्यूटर विज्ञान) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अथवा एम0सी0ए0 अथवा एम0एस0सी0 (कम्प्यूटर विज्ञान) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अथवा "बी" लेवल आफ डी0ओ0ई0ए0सी0सी0 (डिपार्टमेंट आफ इलेक्ट्रानिक्स एण्ड एकीडियेशन आफ कम्प्यूटर कोर्स) अथवा स्नातकोत्तर डिग्री के साथ पी0जी0डिप्लोमा इन कम्प्यूटर ऐप्लीकेशन विज्ञान किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अथवा स्नातकोत्तर डिग्री के साथ बी0एस0सी0 (कम्प्यूटर कोर्स कम्पौनेन्ट कनसेसटिंग आफ एट लिस्ट1/3) आफ साइंस कोर्स किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अथवा स्नातकोत्तर डिग्री के साथ ए-लेवल आफ डी0ओ0ई0ए0सी0सी0 (डिपार्टमेंट आफ इलेक्ट्रानिक्स एण्ड एकीडियेशन आफ कम्प्यूटर कोर्स) 	कटरा बाजार	पी0ए0बी से अप्रूव मानदेय के आधार पर- 22000/-	प्रशिक्षित
कैरटेकर	01	0	0	0	01	परास्नातक एवं बी0एड0	तरबगंज	पी0ए0बी से अप्रूव मानदेय के आधार पर- 24200/-	
लेब असिस्टेंट	0	01	02	0	03	हाईस्कूल विज्ञान वर्ग के साथ एवं लैबोरेटरी तकनीक में डिप्लोमा अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड से इण्टरमीडिएट विज्ञान वर्ग के साथ	कटरा बाजार, हलधरमऊ, बभनजोत	पी0ए0बी से अप्रूव मानदेय के आधार पर - 7147/-	
कार्यालय अधीक्षक/ लिपिक	02	01	01	0	04	<ol style="list-style-type: none"> माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा आयोजित इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा उसके समकक्ष कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण हों। माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 के साथ-साथ केंद्र अथवा किसी राज्य द्वारा स्थापित किसी संस्था/शिक्षा बोर्ड/परिषद द्वारा संचालित हाईस्कूल अथवा इण्टरमीडिएट परीक्षा में पृथक विषय के रूप में कम्प्यूटर साइंस विषय को लिया गया हो। <p>अथवा</p> <p>कम्प्यूटर संचालन डोएक/NIELIT द्वारा प्रदत्त सी0सी0सी0 प्रमाण पत्र</p> <p>अथवा</p> <p>सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से समकक्ष स्तर का प्रमाण पत्र</p> <p>अथवा</p> <p>कम्प्यूटर साइंस में डिप्लोमा/डिग्री</p> <ol style="list-style-type: none"> कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण गति न्यूनतम 25 शब्द प्रतिमिनट एवं कम्प्यूटर पर अंग्रेजी अंकण गति न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट 	कटरा बाजार, हलधरमऊ, वजीरगंज, बभनजोत	पी0ए0बी से अप्रूव मानदेय के आधार पर 12430/-	

वरा	04	02	01	0	07	कक्षा-08 उत्तीर्ण	मुजेहना, बेलसर, तरबगंज, परसपुर इटियाथोक, कटरा बाजार, बमनजोत,	पी0ए0बी से अप्रूव मानदेय के आधार पर 7147/-
चौकीदार	05	02	0	0	07	कक्षा-08 उत्तीर्ण	मुजेहना, बेलसर, तरबगंज, परसपुर इटियाथोक, कटरा बाजार, बमनजोत,	पी0ए0बी से अप्रूव मानदेय के आधार पर 7147/-
रसोईया	03	03	03	0	09	कक्षा-08 उत्तीर्ण	मुजेहना, बेलसर, तरबगंज, परसपुर इटियाथोक, कटरा बाजार, बमनजोत,	पी0ए0बी से अप्रूव मानदेय के आधार पर 6433/-
योग	16	10	08	0	34	-	-	-

नियम व शर्तें:-

- रिक्त पदों की संख्या घट-बढ़ सकती है।
- कम्प्यूटर शिक्षिका के लिए प्रशिक्षित स्नातक होगा अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण उपाधि के अन्तर्गत एन0सी0टी0ई0 से मान्य बी0एड0/एल0टी0 समकक्ष इत्यादि प्रशिक्षण सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त कम्प्यूटर शिक्षण हेतु पी0जी0डी0सी0ए0/बी0सी0ए0/बी0एस0सी0 कम्प्यूटर साइंस अथवा स्नातक सहित डी0ओ0ई0ए0सी0सी0 या समकक्ष संस्था से ओ लेवल/ए लेवल डिप्लोमा आदि शैक्षिक योग्यता अनिवार्य है।
- कला क्राफ्ट एवं संगीत आदि विषयों के लिए शैक्षिक योग्यता स्नातक उपाधि सहित प्रशिक्षण उपाधि होगी तथा गृह शिल्प के लिए शिक्षिका का पद कला क्राफ्ट एवं संगीत के पद के अन्तर्गत ही माना जाएगा।
- बी0पी0एड0, सी0पी0एड तथा डी0पी0एड आदि उपाधियां केवल शारीरिक शिक्षा के अध्यापन हेतु मान्य होंगी।
- समस्त पदों पर केवल महिला अभ्यर्थी का ही चयन किया जायेगा।
- उच्चिकृत केजीबीवी के प्रत्येक पद का मानदेय भारत सरकार द्वारा स्वीकृत पी0ए0बी0 2024-25 के अनुसार देय होगा।
- मुख्य/सहायक रसोईया पद हेतु शैक्षिक योग्यता कक्षा-8 उत्तीर्ण होगी तथा शारीरिक अक्षमता एवं संकामक रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। मुख्य रसोईया/सहायक रसोईया पद पूर्ण कालिक है, इनके लिए विद्यालय में निवास करना अनिवार्य होगा।
- दिनांक 01.04.2026 को न्यूनतम आयु 25 वर्ष तथा अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक न हों।
- राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रविधान के अनुसार आरक्षण जनपद स्तर पर देय होगा।
- आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों एवं के0जी0वी0वी0 में वर्ष 2020-21 में संविदा से वंचित हो रहे शिक्षिकाओं को नियमानुसार आयु में छूट दी जायेगी।
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के ऐसे शिक्षिका जो शैक्षिक सत्र 2020-21 में नवीन संविदा से वंचित हो गये हैं उनके द्वारा आवेदन करने पर उन्हें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में की गयी सेवा अवधि के प्रत्येक सम्पूर्ण शैक्षिक वर्ष के लिए 02 प्रतिशत अतिरिक्त भारांक दिया जायेगा। अधिकतम भारांक 30 अंक से अधिक देय नहीं होगा। इसके लिए सम्बन्धित जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। उन्हें चयन हेतु शैक्षिक अर्हता में शासनादेश सं0-के0जी0बी0वी0/2-3/1916/2020-21 दिनांक 29.07.2013 के पूर्व कार्यरत शिक्षिका के लिए टी0ई0टी0 की अर्हता अनिवार्य नहीं होगी।
- भरे हुए आवेदन पत्र समस्त स्वप्रमाणित संलग्नकों की छायाप्रति सहित पंजीकृत डाक से कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पन्तनगर, गोण्डा में दिनांक 29-6-2026 की 5:00 PM बजे तक ही स्वीकार किये जाएंगे। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त आवेदन पत्र मान्य नहीं होगा।
- आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप सहित समस्त आवश्यक जानकारियां <http://gonda.nic.in> पर भी उपलब्ध है। विज्ञापन एवं आवेदन पत्र का प्रारूप जिलाधिकारी कार्यालय, मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय, प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, उप जिलाधिकारी कार्यालय तथा समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय जनपद गोण्डा के सूचना पट्ट पर चस्पा है।
- आवेदक आवेदन पत्र के साथ पंजीकृत 42-42 रुपये के डाक टिकट लगे हुए 02 लिफाफे जिस पर अभ्यर्थी का नाम, पता व पिन कोड स्पष्ट लिखा हो संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- उक्त सभी कक्षा 06 से 08 तक की नियुक्तियां माननीय उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिकाओं के निर्णय के अधीन होंगी।
- उपरोक्त विज्ञप्ति को किसी भी समय यथावश्यकता निरस्त करने का अधिकार समिति का होगा, जिसपर कोई भी दावा स्वीकार नहीं होगा।
- अपूर्ण/हस्ताक्षर रहित/साधारण डाक से प्राप्त/कटिंग/ओवरराइटिंग/निर्धारित प्रारूप से इतर एवं वांछित प्रमाण पत्र संलग्न न होने आदि की दशा में आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिया जाएगा जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित आवेदक का होगा।
- चयन के सम्बन्ध में जिला स्तरीय चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
- किसी भी सेवा से बर्खास्त, नैतिक/चारित्रिक अधमता के अपराध के लिए दोष सिद्ध एवं दिवालिया व्यक्ति चयन के लिए अर्ह नहीं होंगे।

यानित अभ्यर्थियों के शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्रों का सत्यापन अनिवार्यतः कराया जाएगा। चयन के पूर्व या पश्चात किसी भी प्रमाण पत्र/कागजात के फर्जी/कूटरचित पाए जाने की दशा में सम्बन्धित आवेदक के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करायी जाएगी। शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर सभी कर्मचारी 11 माह 29 दिन के अनुबंध पर रखे जाएंगे। यह अनुबंध कार्य का होगा। इनके कार्य एवं व्यवहार का वार्षिक मूल्यांकन किया जाएगा जिसके अच्छा पाए जाने पर जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरांत उनकी संविदा का नवीनीकरण किया जाएगा।

उल्लिखित मानदेय में नियोक्ता का 13 प्रतिशत ई0पी0एफ0 अंशदान (जिन कर्मियों का मानदेय 15000.00 की सीमा तक है।) सम्मिलित है।

22. अभ्यर्थी के चयन के लिए निर्धारित योग्यतानुसार भारांक के अंको का निर्धारण निम्न प्रकार किया जायेगा-

23.

क0सं	परीक्षा/उपाधि का नाम	गुणवत्ता अंक
1	हाईस्कूल	परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत x10/100
2	इण्टरमीडियट	परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत x10/100
3	स्नातक उपाधि	परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत x20/100
4	परास्नातक उपाधि	परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत x20/100
5	प्रशिक्षण	सैद्धान्तिक एवं प्रयोगात्मक परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत x30/100

संलग्नक:-आवेदन पत्र का प्रारूप।

(रक्खन्दा सिंह)
जिला समन्वयक बालिका शिक्षा
समग्र शिक्षा-गोण्डा

(अमित कुमार सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गोण्डा

पृ0स0 : एस0एस0ए0/के0जी0बी0वी0/नियुक्ति/ 2488-58 /2026-27 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- राज्य परियोजना निदेशक (स0शि0अ0) विद्याभवन, निशातगंज, लखनऊ।
- जिलाधिकारी महोदय, गोण्डा।
- मुख्य विकास अधिकारी महोदय, गोण्डा।
- उप शिक्षा निदेशक/प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, गोण्डा से अनुरोध है कि प्रकाशित विज्ञप्ति को ब्लाक मुख्यालय पर चस्पा करवाने का कष्ट करें।
- उप जिलाधिकारी, गोण्डा से अनुरोध है कि प्रकाशित विज्ञप्ति को ब्लाक मुख्यालय पर चस्पा करवाने का कष्ट करें।
- मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) देवीपाटन मण्डल, गोण्डा।
- समस्त खण्ड विकास अधिकारी, गोण्डा से अनुरोध है कि प्रकाशित विज्ञप्ति को ब्लाक मुख्यालय पर चस्पा करवाने का कष्ट करें।
- समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी, गोण्डा को इस निर्देश के साथ कि प्रकाशित विज्ञप्ति को अपने ब्लाक संसाधन केन्द्र पर चस्पा करायें।
- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, गोण्डा को इस अनुरोध के साथ कि उक्त विज्ञप्ति को <http://gonda.nic.in> पर अपलोड करने का कष्ट करें।
- सम्पादक दैनिक जागरण, अमर उजाला को इस आशय से प्रेषित की दिनांक के अंक में उक्त विज्ञप्ति को पठनीय व न्यूनतम राजकीय दरों पर प्रकाशित करने का कष्ट करें।
- कार्यालय प्रति।

(रक्खन्दा सिंह)
जिला समन्वयक बालिका शिक्षा
समग्र शिक्षा-गोण्डा

(अमित कुमार सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गोण्डा

जनपद गोण्डा के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में संविदा पर चयन हेतु आवेदन पत्र
वर्ष 2026-27

1. आवेदित पद का नाम..... विषय का नाम.....
2. अभ्यर्थी का नाम-(अंग्रेजी के बड़े अक्षर में).....
(हिन्दी में).....
3. जन्मतिथि.....आयु 01.04.2026 को आयु..... वर्ष..... माह..... दिन.....
4. पिता/पति का नाम
5. आरक्षित श्रेणी (सामान्य/अन्य पिछड़ा जाति/अनु0जाति/अनु0जन0जाति).....
(सक्षम अधिकारी से निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न करें)
6. पत्राचार का पता.....पिन कोड..... मोबाइल नं0.....
7. स्थाई पता.....पिन कोड..... मोबाइल नं0.....
8. ई-मेल.....
9. आधार कार्ड सं0..... 9 लिंग (पुरुष/ महिला).....
10. शैक्षिक योग्यता.....

कं0सं0	परीक्षा का नाम	बोर्ड/वि0वि0 का नाम	वर्ष	विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
1	कक्षा-8						
2	हाई स्कूल						
3	इण्टरमीडिएट						
4	स्नातक						
5	परारस्नातक						
6	प्रशिक्षित स्नातक						
7	टी0ई0टी0 (जूनियर स्तर)						
8	भारांक (के0जी0बी0वी0 में शिक्षक के रूप में कार्यरत अनुभव)						
	योग						

11. अनुभव यदि कोई हो तो प्रमाण पत्र संलग्न करें तथा विवरण दें।

12. क्या किसी फौजदारी न्यायालय द्वारा कभी आपको दंडित किया गया है, यदि हों तो पूर्ण विवरण दें:-

घोषणा

मैं.....पुत्री/पत्नी.....यह घोषणा करती हूँ कि मेरे आवेदन पत्र में उक्तवत दिए गए विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार पूर्णतया सत्य हैं तथा इसमें किसी भी प्रकार का तथ्यगोपन नहीं किया गया है। चयन के पूर्व या चयन के पश्चात जॉचोपरांत कोई भी तथ्य/ संलग्न प्रमाण पत्र, फर्जी/कूटरचित पाए जाने पर मेरा अभ्यर्थन/ चयन निरस्त कर दिया जावे जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी तथा इस सम्बन्ध में जिला चयन समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। चयनोपरांत मैं अपनी सेवा के निमित्त विभाग द्वारा निर्धारित मानदेय ही प्राप्त करूँगी एवं स्वार्थवश कोई उज्रदारी नहीं करूँगी।

संलग्नक:-

अभ्यर्थी का पूर्ण हस्ताक्षर

दिनांक:-.....